चालू मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने की तैयारी में फेंकू प्रधानमंत्री मोदी

फ़रीदाबाद (म.मो.) औद्योगिक मज़दूरों के वेतन से साढे 6 प्रतिशत वसूल कर 75 हज़ार करोड़ से अधिक का मुनाफ़ा डकारे बैठे ईएसआई निगम ने हज़ार करोड़ खर्च करके यहां एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाया है। तीन वर्ष पूर्व चालू हुए इस मेडिकल कॉलेज से अब तक तीन बैच पास हो चुके हैं और चौथा बैच 2-3 महीने में आनेवाला है। इस चले-चलाये मेडिकल कॉलेज का औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी से कराने की तैयारियां बहुत ऊंचे स्तर पर चल रही हैं। विश्वस्त सूत्रों की मानें तो यह ड्रामा मई-जून 2018 में होने की पूरी संभावना है।

फ़िलहाल बिना किसी उद्घाटनबाजी के मेडिकल कॉलेज में काम ठीक से चल रहा है। बच्चे ठीक से पढ रहे हैं, फ़ेकल्टी ठीक से पढा रही है, परिणाम तमाम पुराने कॉलेजों से बेहतरीन आ रहे हैं। रही बात मरीजों के इलाज की तो वह भी जैसे-तैसे प्रगति पर है। तो फ़िर उद्घाटन के इस ड्रामे की जरूरत है किसे?

हां जब कभी जरूरत थी इस मेडिकल कॉलेज को बनाने व चालू कराने की तो उसके लिये संघर्ष किया था यहां के मज़दूरों ने क्योंकि सरकार में बैठे कुछ धूर्त अफ़सर नहीं चाहते थे कि यह मेडिकल कॉलेज चले। जब शहर की जनता व मज़दूर इसके लिये आन्दोलन कर रहे थे तो उच्चतम स्तर पर मोदी जी व स्थानीय स्तर पर तमाम भाजपाई नेता महज तमाशबीन बने रहे थे।

अब जब मेडिकल कॉलेज चल गया तो उद्घाटन की जरूरत भी उन्हीं धंधेबाज नेताओं को महसूस हो रही है जो आये दिन कहीं न कहीं नारियल फ़ोड़ने की फ़िराक में घूमते रहते हैं। ये लोग कुछ करने-धरने की बजाय करे-धरे काम पर अपना नाम लिखकर जनता को केवल यह बताना चाहते हैं कि वे काम भी कर रहे हैं। यदि मोदी जी को उद्घाटन करने व नारियल फ़ोड़ने का इतना ही शौक है तो क्यों नहीं बीते 4 साल में ऐसा ही एक कॉलेज गुड़गांव में भी खुलवा दिया जहां इसकी सख्त जरूरत है। वहां ईएसआईसी कवर्ड मज़दूरों की संख्या फ़रीदाबाद से से तिगुणी (करीब 20 लाख) है। मजे की बात तो यह है कि इस पर सरकार का एक पैसा भी खर्च नहीं होने जा रहा है।

समझा जा रहा है कि जब मोदी यहां उद्घाटन के नाम पर जनसभा को सम्बोधित करेंगे तो वे कोई न कोई बड़ी घोषणा भी करेंगे। अनुमान है कि वे डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिये तमाम मेडिकल कॉलेज में पीजी यानी स्नातकोत्तर पढाई की घोषणा करेंगे। इससे एमडी व एमएस (विशेषज्ञ) डॉक्टरों की कमी पूरी होगी। वैसे इससे सम्बन्धित-समाचार **'मज़दूर मोर्चा'** के 1 से 8 अप्रैल अंक में प्रकाशित किया जा चुका है। इसके अनुसार एमसीआई (मेडिकल काऊंसिल ऑफ़ इन्डिया) ने यह घोषित कर दिया है कि जिन मेडिकल कॉलेजों ने एमबीबीएस के 3 बैच पढा लिये हैं उन्हें इसका चौथा बैच भर्ती करने की अनुमति तभी मिलेगी जब वे पीजी की पढाई अपने यहां चालू करेंगे।

फ़रीदाबाद जैसे मेडिकल कॉलेज के लिये यह कोई मुश्किल नहीं क्योंकि यहां उस पढाई के लिये भी बेहतरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। जरूरत तो केवल कुछ फ़ेकल्टी बढाने की या कोई और छोटी-मोटी सुविधायें उपल्बध कराने की। सुधी पाठक जान लें कि पीजी की पढाई का मतलब 10 प्रतिशत तो किताबी पढाई व 90 प्रतिशत मरीज़ों का इलाज एवं देखभाल होती है। जाहिर है इसके चालू होने से यहां के मरीज़ों को और भी बेहतरीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो पायेगी।

दुनिया के तमाम विकसित देश खासकर अमेरिका में जितनी सीटें एमबीबीएस की होती हैं उतनी ही सीटें, बल्कि कई जगह उससे भी ज़्यादा सीटें पीजी की होती हैं। ऐसे में भारत जैसे देशों से पीजी करने लोग वहां पहुंचते हैं जिससे उन देशों की कमाई और हम जैसों की लुटाई होती है।

विदित है कि कोई भी प्रधानमंत्री जब भी कहीं उद्घाटन जैसे ड्रामे करने पहुंचता है तो उस पूरे क्षेत्र में अफ़रा-तफ़री का माहौल बन जाता है। बड़े पैमाने पर पुलिस व सुरक्षा बलों को तैनात किया जाता है। कुछ दिन के लिये वहां तमाम सरकारी काम-काज थम जाते हैं। बेतहाशा सरकारी पैसा खर्च होता है। इससे जनता को कोई लाभ नहीं होता, हां सत्तारूढ जरूर अपनी पीठ थपथपाकर अपनी उपलब्धि बता कर अगामी चुनाव में अपने लिये वोट मांग सकता है। अब देखना है कि फ़रीदाबाद की जनता इस मोदी बहकावे में आती है या नहीं।

अम्बानी जैसे राजमार्ग ठेकेदारों का काम भी पुलिस मैट्रो रेल से कराना चाहती है

फ़रीदाबाद (म.मो.) शहर के बीचों-बीच से गुजरते राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई बढने तथा फ्लाई ओवरों के बनने से और वाहनों की गति बढने से पैदल चलने वालों के लिये इस शहर को पार करना जानलेवा होता जा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 में 195, 2017 में 233 और 2018 के जनवरी से मार्च तक 61 लोगों की मौत राजमार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं में हो चुकी है। घायलों की संख्या इससे कहीं अधिक है। लगभग सभी दुर्घटनायें सड़क पार करते समय तेज गति से आ रहे वाहनों से टकरा कर ही हुई हैं।

गौरतलब यह है कि सभी दुर्घटनाओं के लिये पुलिस ने वाहन चालकों को ज़िम्मेदार ठहरा कर उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज करके अपने कर्त्तव्य की इति श्री कर ली। यदि इसके बजाय एनएचएआई (राजमार्ग प्राधिकरण) के अधिकारियों तथा ठेकेदार कम्पनी रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध एक भी मुकदमा दर्ज कर दिया होता तो इन दुर्घटनाओं का सिलसिला तुरंत बंद हो गया होता। जी हां बिल्कुल बंद हो गया होता।

राजमार्ग के बीच में लोहे की पुख्ता ग्रिल लगा कर सड़क पार करने वालों को रोकना तथा उनकी सुविधा के लिये फुटओवर ब्रिज (पैदल पुल) बनाना एनएचएआई का दायित्व है। इसी दायित्व का निर्वहन न करने की वजह से आये दिन ये जानलेवा दुर्घटनायें हो रही हैं।

सड़क चौड़ी करके तथा फ़्लाईओवर बना कर यातायात को गति प्रदान करके एनएचएआई ने किसी पर कोई एहसान नहीं किया है। इस काम की कुल लागत से कई गुणा ज़्यादा टोल टैक्स के द्वारा जनता से वसूला जा चुका है और सारी उम्र वसूला जाता रहेगा। इस वसूली को और बढाने के लिये अब एक और टोल नाका गदपुरी पर भी बनाया जा रहा है।

लूट मचाने वाले एनएचएआई व ठेकेदार अनिल अम्बानी (रिलायंस का मालिक) से तो कुछ कह पाने की हिम्मत पुलिस में है नहीं; सार्वजनिक कम्पनी डीएमआरसी (दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन) पर जरूर पुलिस दबाव बना रही है कि वह अपने 8 स्टेशनों के पास राजमार्ग के बीच में 250-250 फ़ीट लोहे की ग्रिल लगाये जिससे लोग सड़क पार न कर सकें। पुलिस की समझ को क्या कहें? 250 फ़ीट की ग्रिल से कोई कैसे रुकेगा?

सड़क पार करने वाले 250 फ़ीट छोड़ कर पार कर लेंगे। इसके अलावा मेट्रो वालों ने अपने यात्रियों के लिये सड़क पार करने हेतु जो फुटओवर ब्रिज लगाये हैं वे सीधे स्टेशन की इमारत में घुसते हैं। पुलिस का आदेश है कि उसकी एक सीढी सीधे बाहर की ओर उतारी जाय क्योंकि आम लोग स्टेशन बिल्डिंग के भीतर से होकर गुजरने से हिचकते हैं। इसके अलावा मेट्रो रेल वाले लाऊडस्पीकर लगा कर चिल्ला-चिल्ला कर लोगों को बतायें कि उनके बनाये पुलों से सड़क पार करें। इतना ही नहीं मैट्रो अपने पुलों के पास बोडों पर भी लिख कर लगाये कि उनके पुलों से सड़क पार करें।

बड़ा अजीब मामला है इस देश का। जो अपना काम ठीक से बढिया तरीके से कर रहा है उसी के सिर पर सवार होकर कहो कि उस निकम्मे व चोर का काम भी तुम ही कर दो जो अपना काम नहीं कर रहा और सरेआम डकैती मार रहा है। मैट्रो वालों ने किसी कानून या दबाव के तहत सड़क पार करने के पुल नहीं बनाये थे। उन्होंने विशुद्ध व्यापारिक दृष्टिकोण से अपने यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा के लिये अपने विवेक से इनका निर्माण न केवल फ़रीदाबाद में बल्कि पूरे एनसीआर में मेट्रो हर स्टेशन पर किया है। यही सोच एनएचएआई व इसके ठेकेदार को क्यों नहीं है? नहीं है तो तुरंत हो जायेगी यदि पुलिस हर दुर्घटना के लिये इन्हें दोषी ठहरा कर मुकदमा दर्ज करे।

इसी तरह का एक मुकदमा हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट के विचाराधीन भी है। सुधी पाठकों ने 'मज़दूर मोर्चा' के 18-24 मार्च के अंक में पढा होगा कि सेक्टर 16 निवासी मनोज वधवा का 3 वर्षीय बेटा इसी राजमार्ग के बाटा मोड़ पर हुई दुर्घटना में केवल इस लिये मारा गया था कि सड़क पर गड्ढे थे, जिनमें पानी भरा था। ऊपर से अंधेरा। स्कूटर गड्ढों में फंस गया, माता-पिता व बच्चा सड़क पर गिर गये और पीछे से आते एक वाहन से बच्चा कुचला गया और मर गया। पिता का कहना है कि दोषी कुचलने वाला वाहन नहीं बल्कि सड़क बनाने वाला ठेकेदार है। इसके बावजूद पुलिस की समझ में यह सीधी सी बात आ नहीं रही।

गर्भवती महिलाओं को तड़पाने व प्रताड़ित करने का केन्द्र बन कर रह गया बीके अस्पताल

फ़रीदाबाद (म.मो.) ज़िले का एक मात्र सरकारी बीके अस्पताल, प्रसव के लिये आने वाली गर्भवती महिलाओं के उत्पीड़न का मुख्य केन्द्र बन कर रह गया है। प्रसव वेदना से पीड़ित महिला चाहे कितने घंटे चिल्लाती रहे, परन्तु उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता।

जनता से वसूले टैक्स का करोड़ों खर्च करके ज़िले भर में दर्जनों डिस्पेंसरियां व प्रसव केन्द्र सरकार ने खड़े कर दिये हैं, परन्तु इनमें से अधिकांश नकली अथवा फ़र्जी हैं। ये केवल, प्रसव हेतु आने वाली महिलाओं को बीके अस्पताल रेफ़र करते हैं और बीके वाले उन्हें सफ़दरजंग का रास्ता दिखा देते हें।

ताज़ा उदाहरण धौज निवासी उर्मिला का है। प्रसव पीड़ा होने पर वह अपने गांव धैज की डिस्पेंसरी में पहुंची तो वहां के डॉक्टर ने गर्भस्थ शिशु के उल्टा हो जाने का कारण बताते हुए उसे बीके अस्पताल रेफ़र करके अपना कर्त्तव्य की इतिश्री कर ली। बीके वालों ने बता दिया कि शिशु नार्मल है किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। यहां झूठ कौन बोल रहा है, धौज वाला डॉक्टर या बीके वाला? दोनो में से एक तो जरूर गर्भवती महिला को बेवकूफ़ बना कर प्रताड़ित कर रहा है।

जानकारों के मुताबिक धौज केन्द्र पर स्टाफ़ के साथ-साथ जांच हेतु अल्ट्रासाऊंड मशीन तक नहीं है। इसलिये अपनी सुविधानुसार डॉक्टर अनुमान लगा कर केस को हेंडल करते हैं। परन्तु बीके में अपेक्षाकृत उपकरण व स्टाफ़ की स्थिति बेहतर है। परन्तु यहां किसी की नीयत नहीं काम करने की। यहां काम उसी का होता है जो सफ़ाई कर्मचारी से लेकर डॉक्टरानी तक को 'खुश' कर दे।

कुछ ऊंच-नीच हो जाने पर सिविल सर्जन गुलशन अरोड़ा जांच बैठाने की घोषणा कर देते हैं। हर माह न जाने ऐसी कितनी जांच बैठती हैं, परन्तु परिणाम सबका ज़ीरो। सब कुछ ज्यों का त्यों चलता रहता है।

कठुआ कांड के फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आई सामने, साबित हुआ मंदिर में ही हुआ था बलात्कार

मंदिर में बलात्कार न किए जाने वाली मीडिया की रिपोर्टें निकली झूठी, मंदिर में मिले खून के धब्बे और बाल उसी बच्ची के जिसको बलात्कार के बाद मार दिया था सांझीराम और उसके बेटे—रिश्तेदारों ने फोरैंसिक जांच की रिपोर्ट में मैच खाए ओरापियों के डीएनए, आरोपियों ने अपने स्तर पर सभी सबूतों को मिटाने की कर रखी व्यवस्था, लेकिन दिल्ली में हुई जांच से नहीं बच पाया कोई आरोपी।

सवाल एक ही क्या इसके लिए भाजपाई नेताओं को मिलेगी सजा जो अपराधियों के बचाव में कानून के खिलाफ हुए थे खड़े या पार्टी करेगी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई।

जम्मू के कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ हुए गैंगरेप मामले में फैलाए जा रहे तमाम अफवाहों पर अब लगाम लगेगी। जो भाजपा समर्थक, हिंदूवादी, दंगाई और संघ के लोग यह कह रहे थे कि पवित्र मंदिर में कोई हिंदू क्यों करेगा बलात्कार, उनका भी भ्रम होगा दूर और बच्ची के बलात्कारियों—हत्यारों को मिलेगी सजा।

जी, हां। कठुआ कांड में फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट से जांच टीम कई अहम सूबत हाथ लगे हैं। लैब की रिपोर्ट ने एक बार फिर इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों और अधिक सजा के करीब ला खड़ा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपियों ने घटना के बाद सबूतों को मिटाने की हर संभव कोशिश की।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वारदात की जगह से बरामद अन्य चीजों के आधार पर हुई फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट लिखा है कि आरोपियों ने पीड़ित बच्ची के सलवार फॉक को धो डाला था, ताकि उस पर कोई खून का धब्बा न रह जाए।

आसिफा गैंगरेप और उसके बाद हुई हत्या मामले में जो एसआईटी टीम गठित की गई है उसने पहले बच्ची के कपड़ों को फोरेंसिक जांच के लिए श्रीनगर फॉरेंसिक लैब भेजा था, लेकिन वहां से कुछ खास हासिल नहीं हो पाया क्योंकि बलात्कारियों ने उसके कपड़ों को धोकर बिल्कुल साफ कर दिया गया था।

इसके बाद जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने डीएनए सैंपलिंग के लिए 27 फरवरी को दिल्ली गृह मंत्रालय के सचिव को चिट्ठी लिखी। अनुमति मिलने के बाद आसिफा के कपड़ों समेत अन्य सबूतों को जांच के लिए दिल्ली की फोरेंसिक लैब में भेजा गया।

1 मार्च को गैंगरेप के बाद मार दी गई बच्ची की योनि से मिले वजाइनल स्मियर, उसके बाल और पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया समेत आरोपी शुभम सांगरा के खून के नमूने को सात अलग-अलग पैकेटों में बंद करके दिल्ली भेजा गया था। उसके 14 दिनों के बाद आसिफा के विसरा सैंपल और एक और आरोपी परवेश के खून के नमूने जांच के लिए दिल्ली फोरेंसिक लैब भेजे गए।

इसके बाद 16 मार्च को आसिफा के सलवार फॉक, घटनास्थल केक आसपास की कुछ मिट्टी और बच्ची के खून से सनी हुई मिट्टी भेजी लैब भेजी गई। 21 मार्च को आरोपी विशाल जंगोत्रा के खून के नमूने दिल्ली लैब में भेजे गए। इन सभी जांचों की रिपोर्ट दिल्ली की फॉरेंसिक लैब ने तीन अप्रैल को एसआईटी टीम को सौंप दी थी।

आसिफा मामले की चार्जशीट में इस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा गया कि दिल्ली फॉरेंसिक लैब के पास ज़्यादा अच्छी तकनीक है, इसलिए आसिफा के सलवार फॉक के धब्बों की पहचान कर ली गई। जांच में यह बात सामने आई कि खून के निशान पीड़िता के डीएनए से मेल खाते हैं, वैजाइनल स्मियर में उसका खून भी पाया गया। पुलिस की जांच में देवीस्थान से खून का धब्बा लगा हुआ एक लकड़ी का डंडा और कुछ बाल मिले। आसिफा की डीएनए प्रोफाइलिंग से पता चला कि सांझीराम ने उसे बंधक बनाकर रखा था।

फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट से ये भी पता चला कि शव के पास से मिले बाल के डीएनए आरोपी शुभम सांगरा के डीएनए प्रोफाइल से मेल खाता है. मेडिकल एक्सपर्ट्स ने यह भी रिपोर्ट दी कि बच्ची की हत्या के पहले उसके साथ गैंगरेप किया गया था।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06